कार्यालयः—प्रभारी छात्र कल्याण,

उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा ।

संख्याः—. /प्र0छा0का0/16 दिनांकः अगस्त, 06 2016

सूचना

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा से प्राप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय व जैवप्रौधोगिकी महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक वर्ष 2016—17 के लिये दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु निम्न दिशा निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुए है। जिनका बिन्दुवार छात्रों को निर्देशित करते हुऐ छात्रवृत्ति आवेदन करना सुनिश्चित करें जिससे सुगमता से छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति का समय से लाभ दिया जा सकें।

1. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतो से रू0 2,00,000.00 (दो लाख मात्र/—) तक है, का शैक्षिक स्तर को सदृण करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। शैक्षणिक सत्र 2016—17 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है।

क— दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सकें, इसके लिये अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनॉक 01, जुलाई 2016 से 30, सितम्बर 2016 तक केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएगें।

ख— दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी को बेवसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है, अन्य किसी माध्यम् से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाऐगा।

ग— आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए कि कोई त्रुटि न होने पाये। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दिए जाएगें।

द्य— छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने (Submitted) के बाद 07 दिन में या अधिकतम 07 अक्टूबर, 2016 तक प्रिन्ट आउट के साथ सभी संलग्नकों के सम्बंन्धित अधिष्ठाता/डिप्लोमा कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

ड— दिनॉक 30, सितम्बर 2016 के बाद छात्रवृत्ति बेवसाइट लॉक कर दी जाएगी। इसके बार आवेदन पत्र भरने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नही होगी।

त— पिछले वर्ष ऐसे छात्र जिन्होने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था वे उसी रजिस्ट्रेशन नम्बर से अपना नवीनिकरण करायगें। नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगें, यदि कोई ऐसा करता है तो सम्बंन्धित छात्र का फार्म निरस्त कर दिया जाऐगा।

थ— आय/जाति/निवास आदि समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र माननीय राजस्व परिषद की बेवसाइट पर ऑनलाइन अपडेट होना अनिवार्य है। अपडेट न होने की दशा में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाऐगा।

(अरूण कुमार मदान)
प्रभारी छात्र कल्याण

प्रभारी छात्र कल्याण
वैटरिनरी विश्वविद्यालय
दुवासु मथुरा

पत्रांक 453/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा/जैवप्रौधोगिकी/स्नातकोत्तर शिक्षा।
3. मुख्य समन्वयक डिप्लोमा प्रोग्राम।
4. कुलसचिव/उपकुलसचिव को इस आशय के साथ प्रेषित है कि छात्रवृत्ति से सम्बंन्धित सूचना को दिनॉक 31, अगस्त 2016 तक डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने का कष्ट करें।
5. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय के साथ प्रेषित है कि छात्रवृत्ति बेवसाइट पर घोषित परीक्षाफल को दिनॉक 30, सितम्बर 2016 तक अपलोड करने के साथ डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने का कष्ट करें।
6. समस्त कक्षा प्रभारी, पशुचिकित्सा संकाय।
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका।
8. प्रभारी ऐरिस सैल को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना को वि0वि बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रभारी छात्र कल्याण)

प्रभारी छात्र कल्याण
वैटरिनरी विश्वविद्यालय
दुवासु मथुरा